

उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश मुख्यपीठ जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक A/5084 /

जबलपुर, दिनांक 22/ 11 /2025

II-14-135/25

वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक 161/4। 31/82/नि-1/4, दिनांक 31.01.1983 एवं वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ-6-1/2018/नियम/चार भोपाल, दिनांक 08 मार्च 2019 में निहित प्रावधान के अनुसार स्वर्गीय श्री मयंक श्रीवास्तव, जूनियर ज्युडिशियल असिस्टेंट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खण्डपीठ ग्वालियर की मृत्यु दिनांक 31/07/2025 को हो जाने के फलस्वरूप उनके अवकाश लेखे में शेष 150 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान किए जाने की स्वीकृति एवं उक्त राशि का भुगतान मृतक के पिता श्री रामशरण श्रीवास्तव निवासी- वार्ड नंबर 12, यशवंतनगर, जिला-रायसेन (म.प्र.) को किए जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(हर्ष सिंह बहरावत)
रजिस्ट्रार (प्रशा.)

पृष्ठांकन क्रमांक A/5085 /

जबलपुर, दिनांक 22/ 11 /2025

II-14-135/25

प्रतिलिपि :-

1. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश, खण्डपीठ-ग्वालियर, नवीन उच्च न्यायालय भवन, सिटी सेंटर, ग्वालियर (म0प्र0) की ओर उनके ज्ञापन क्रमांक 8011/स्था. ग्वालियर दिनांक 27/10/2025 के संदर्भ में स्वर्गीय श्री मयंक श्रीवास्तव, जूनियर ज्युडिशियल असिस्टेंट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खण्डपीठ ग्वालियर के पिता श्री रामशरण श्रीवास्तव का अर्जित अवकाश नगदीकरण आवेदन पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र की छायाप्रति, अवकाश लेखा की छायाप्रति, सेवापुस्तिका के प्रथम एवं संबंधित पृष्ठ की छायाप्रति, परिवार का ब्यौरा तथा नामांकन प्रपत्र की छायाप्रति वापस करते हुए अनुरोध है कि प्राप्ति की अभिस्वीकृति इस रजिस्ट्री को भिजवाने का कष्ट करें।

संलग्न :-अवकाश लेखा।

2. रजिस्ट्रार (प्रशा.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
3. सहायक अवकाश, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(हर्ष सिंह बहरावत)
रजिस्ट्रार (प्रशा.)
